भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 123

उत्तर देने की तारीख : 20.07.2026

बिहार में अल्पसंख्यक समुदायों के लिए कल्याणकारी योजनाएं

123. डॉ. धर्मशीला गुप्ता:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बिहार राज्य में गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले अल्पसंख्यकों, जिनमें मुस्लिम समुदाय भी शामिल है, की पहचान हेतु कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त सर्वेक्षण का जिला-वार ब्यौरा तथा बिहार में चिन्हित लाभार्थियों की संख्या क्या है;

(ग) बिहार में अल्पसंख्यक समुदायों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए केंद्र सरकार द्वारा क्या योजनाएँ संचालित की जा रही हैं; और

(घ) बिहार के लिए पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान योजना-वार कितनी धनराशि आवंटित, जारी एवं व्यय की गई है?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) और (ख): जी, नहीं। बिहार राज्य में गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहे अल्पसंख्यकों की पहचान करने हेतु अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा कोई सर्वेक्षण नहीं कराया गया है।

(ग) और (घ): अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय अल्पसंख्यक समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से सकारात्मक कार्रवाई तथा समावेशी विकास के माध्यम से विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन करता है, ताकि शिक्षा, रोजगार एवं आर्थिक गतिविधियों में अल्पसंख्यक समुदायों की न्यायसंगत भागीदारी सुनिश्चित की जा सके तथा उनका समग्र उत्थान हो।

अल्पसंख्यक समुदायों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के लिए मंत्रालय द्वारा बिहार राज्य सहित देशभर में कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है :

i. प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन (PM VIKAS): अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय बिहार राज्य सहित देशभर में अल्पसंख्यक समुदायों की आर्थिक, शैक्षिक एवं सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन (पीएम विकास) योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी पात्र लाभार्थी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पीएम विकास एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसके अंतर्गत परियोजनाएँ राज्यों के अनुसार आवंटित न करके परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों (PIAs) को आवंटित की जाती हैं। अतः राज्य-वार संस्वीकृत एवं व्यय की गई निधियों का विवरण उपलब्ध नहीं है।

यह योजना जुलाई, 2025 में प्रारंभ की गई थी। बिहार राज्य में 3,820 प्रशिक्षुओं का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिनमें से अब तक 1,761 प्रशिक्षुओं का नामांकन किया जा चुका है।

ii. प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK): प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम एक केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना है, जो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है। जिसका उद्देश्य देश के अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में स्वास्थ्य, कौशल विकास, शिक्षा, महिला-केंद्रित परियोजनाओं, पेयजल एवं स्वच्छता, खेल, नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यटन, पशुपालन तथा अन्य सामुदायिक अवसंरचना जैसे क्षेत्रों में सामुदायिक अवसंरचना का सृजन करना है।

PMJVK एक मांग-आधारित योजना है, और इस योजना के अंतर्गत निधियों का राज्य-वार आवंटन नहीं किया जाता है। तथापि, वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान बिहार राज्य में PMJVK के कार्यान्वयन हेतु 10.00 करोड़ रुपए की संस्वीकृति जारी की गई है।

iii. मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (MANF): अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने दिनांक 22.11.2022 से एम.फिल. एवं पीएच.डी. पाठ्यक्रमों के लिए मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (MANF) योजना के कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (NMDFC) को कार्यान्वयन एजेंसी नामित किया है, जिससे पूर्व के लंबित मामलों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के स्थान पर NMDFC का दायित्व होगा। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 69 विद्यार्थियों को 3.43 करोड़ रुपए, वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 43 विद्यार्थियों को 1.22 करोड़ रुपए तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान 20 विद्यार्थियों को 1.22 करोड़ रुपए की अध्येतावृत्ति राशि संवितरित की गई।

iv. शहरी वक्फ संपत्ति विकास योजना (SWSVY): इस योजना के अंतर्गत विभिन्न वक्फ बोर्डों एवं वक्फ संस्थानों को वक्फ भूमि पर आर्थिक रूप से व्यवहार्य भवनों के निर्माण के लिए ब्याज-मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है।

v. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (NMDFC): राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (NMDFC) अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों अर्थात् मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी एवं जैन समुदायों के सामाजिक-आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कार्य कर रहा है। क्रेडिट लाइन-1 के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 3.00 लाख रुपए तक है, वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। क्रेडिट लाइन-2 के अंतर्गत पात्रता हेतु वार्षिक पारिवारिक आय की सीमा 8.00 लाख रुपए तक है। NMDFC

अपनी योजनाओं का कार्यान्वयन संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा नामित राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (SCAs) के माध्यम से करता है।

बिहार राज्य में बकाया देयों के संचय के कारण वित्तीय वर्ष 2012-13 से NMDFC की योजनाओं का कार्यान्वयन बाधित हो गया था। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम (BSMFC)/राज्य सरकार ने एकमुश्त निपटान (OTS) योजना के अंतर्गत 20.78 करोड़ रुपए का भुगतान कर अपने लंबे समय से लंबित बकाया का निपटान कर दिया था। तथापि, BSMFC ने अभी तक बिहार राज्य में NMDFC की योजनाओं का पुनः कार्यान्वयन प्रारंभ नहीं किया है, क्योंकि वर्तमान में वह केवल राज्य सरकार की अनुदान-आधारित योजनाओं का ही कार्यान्वयन कर रहा है।
